सिंचाई क्षेत्र हेतु पूर्ण राष्ट्रीय संसाधन उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं होगा । तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई लेकिन राज्य सरकारें अपनी योजना निधि के किसी भी भाग को निर्धारित करने अथवा उसको अलग रखने के लिए सहमत नहीं थी । सतलुज यमुना लिंक नहर (पंजाब भाग) का वित्त-पोषण गैर-योजना के अंतर्गत एक विशेष मामले के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है । पिछली अनुमोदित लागत की राशि की निर्मुक्ति मार्च, 1994 तक पहले ही की जा चुकी है । पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के वास्ते निर्मुक्त की गई निधियां 1992–93 में 20 करोड़ रुपए और 1993–94 के दौरान 2.95 करोड़ रुपए थीं ।

यमुना जल का बटवारा

1731. श्री सोमपाल :
डा० नौनिहाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना जल के बंटवारे के संबंध में हाल ही में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को पृथकवार कितना जल मिलेगा तथा प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से की निर्धारित जलराशि की पूरी मात्रा कब से मिलनी शुरु हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो०के० थुंगन) : (क) और (ख) यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा 12 मई, 1994 को हस्ताक्षर किए गये । समझौता ज्ञापन सभा पटल पर रख दिया गया है **(नीचे देखिये)** ।

जैसे-जैसे यमुना की ऊपरी पहुचों में भंडारणों का निर्माण किया जायेगा वैसे ही अंतरिम मौसमी आबटनों को क्रमिक रूप से करार में प्रदान किए गए अंतिम पूर्ण आबंटनों तक संशोधित किया जायेगा ।

समझौता ज्ञापन

यमुना के सतही प्रवाह के आबटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में 75% विश्वसनीय अवधारित अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलयन घन मीटर आंका गया है और औसत वार्षिक उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है ।

2. और जबकि बिना विनिर्दिष्ट आबंटन के सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला के बाद तथा ओखला के बाद जल का उपयोग किया जा रहा था ।

3. और जबकि कुछ बेसिन राज्यों द्वारा इस संबंध में मांग की गई है और काफी समय से यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन के विनिर्दिष्ट आबटन की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है ।

5. और जबकि सभी राज्य इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाये जायेंगे 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भंडारणों के निर्माण के अनुपात में बनाए रखा जायेगा ।

6. और जबकि यह आंकलन किया गया है कि बाढ़ उत्प्लव के कारण 0.69 बिलियन घन मीटर जल की मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

7. अतः अब बेसिन राज्य अपनी सिंचाई और खपतकारी पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन पर सहमत हैं :

1.	हरियाणा	5.730 बिलियन घन मीटर
2.	उत्तर प्रदेश	4.032 बिलियन घन मीटर
3.	राजस्थान	1.119 बिलियन घन मीटर
4.	हिमाचल प्रदेश	0.378 बिलियन घन मीटर
5.	दिल्ली	0.724 बिलियन घन मीटर

बशर्ते कि निम्नलिखित को पूरा किया जाए :

(i) इस नदी के ऊपरी कछार में भण्डारणों का निर्माण होने तक यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह का निम्नानुसार अन्तरिम मौसमी आबंटन होगा :—

राज्य	यमुना जल का मौसमी आबंटन (बिलियन घन मीटर)			
	जुलाई–अक्तूबर	नवम्बर–फरवरी	मार्च–जून	वार्षिक
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.180	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
योग	9.056	1.275	1.652	11.983

प्रावधान है कि अन्तरिम मौसमी आबंटन दस दिवसीय आधार पर वितरित किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि जैसे-जैसे भण्डारणों का निर्माण किया जायेगा, उपरोक्त अन्तरिम मौसमी आबंटन, पैरा 7 में दिखाये गये अंतिम वार्षिक आबंटन के अनुरूप क्रमिक रूप से संशोधित होते जायेंगे ।

(ii) इस समझौते के अन्तर्गत किए गए समग्र आबंटन के ढांचे में प्रत्येक अभिज्ञात भण्डारण के संबंध में अलग से समझौता किया जायेगा ।

(iii) इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत, अपर यमुना नदी बोर्ड द्वारा, लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह का आबंटन विनियमित किया जायेगा ।

प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आकलन की गयी मात्रा से अधिक हो तो अधिशेष उपलब्ध जल को राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जायेगा ।

यह भी प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आकलन की गयी मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली के पेयजल आबंटन को पूरा किया जायेगा तथा शेष जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जायेगा ।

8. इस समझौते की वर्ष 2025 के बाद पुनरीक्षा की जा सकती है यदि बेसिन राज्यों में से कोई राज्य ऐसी मांग करता है ।

9. इस समझौते को शीघ्र एंव सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता और परामर्श का हम उल्लेख करते हैं एवं कृतज्ञभाव से आभार प्रकट करते हैं ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(मुलायम सिंह यादव)	(भजन लाल)	(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश	हरियाणा	राजस्थान
ह०/-	ह०/-	उपस्थिति में
(वीरभद्र सिंह)	(मदन लाल खुराना)	ह०/-
मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री	(विद्याचरण शुक्ल)
हिमाचल प्रदेश	दिल्ली	मंत्री (जल संसाधन)